

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1(79)पीएस/निकाशि/12 / 388

दिनांक

8-11-2012

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
2. सहायक निदेशक,
क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा
विभाग, जौधपुर/उदपुर।
3. संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

विषय:- न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में एक लाख से अधिक के भुगतान की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवम् 2011-12 में आपके महाविद्यालय में कार्यरत जिन व्याख्याताओं/कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में एक लाख रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है। उनकी वर्षवार सूचना निम्न प्रारूप में तैयार कर पत्र जारी होने के तीन दिवस में इस कार्यालय की वेबसाईट jdadmncce@rajasthan.gov.in अथवा jdpers.cce@rajasthan.gov.in पर ई-मेल व फ़ैक्स नम्बर 0141-2702247 पर फ़ैक्स कर सूचित करें।

प्रारूप

महाविद्यालय का नाम :-

वर्ष :-

क्र.सं.	व्याख्याता/कर्मचारी का नाम	पद	ट्रेजरी बिल नं.	दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6


५०
संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक: एफ 1(79)पीएस/निकाशि/12 / 388

दिनांक

8-11-2012

प्रतिलिपि :- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर - कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर